निगरानी प्र.क्र.

प्रस्तुती दिनांक –

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निग - 361-PBR-16

मेसर्स लक्ष्मी सीड्स स्टोर्स तर्फे

भागीदार नारायण पिता रामकिशन परमार

106, देवधर काम्पलेक्स, नसिया रोड,

इन्दौर (म.प्र.) — निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर (म.प्र.) — प्रत्यर्थी

कलेक्टर कार्यालय, मोती तबेला इंदौर

33/13.01.2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर

श्री मनिक पांडेय अधि.

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13/01/2016

को प्रस्तुत।

अधीक्षक

आयुक्त कार्यालय

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अपील/08–09 में दिनांक 14.09.2015 को पारित आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 361–पीबीआर/16 जिला **इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–9–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2–3–03 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः उनके द्वारा वर्ष 2003 में प्रचलित मानक दर से प्रीमियम एवं भू–राजस्व निर्धारित करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा वर्ष 2000–01 में निर्माण कार्य किया गया था तो उसे वर्ष 2001 में ही प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था । उपरोक्त निष्कर्ष के साथ अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	